मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय

1. विश्वविद्यालय का नाम	:	मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय
2. परिनियम का क्रमांक	:	**परिनियम क्रमांक – 9** विभागों से संबंध्ति नियुक्ति
3. अनुमोदन करने वाला प्राध्किरण एवं तिथि	:	विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 9.10.96 को अनुमोदित
4. प्रस्तावित परिनियम के प्रभावशील होने की तिथि	:	विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुमोदन के दिनांक से

परिनियम :–

मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय के निदेशक, विभिन्न विभागों में इकाईयों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पाठ्यक्रम लेखक'समन्वयक आदि की नियुक्ति प्रबंध् बोर्ड द्वारा अधेलिखित चयन समिति की संस्तुति पर की जा सकेगी, इस प्रकार की समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

1. कुलपति – **अध्यक्ष**
2. एक ऐसा विषय विशेषज्ञ जो योजना बोर्ड द्वारा सुझाये गये तीन नामों की सूची से हो तथा कुलाध्पिति द्वारा नामांकित किया गया हो एवं विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार संबध न हो।
3. कुलाध्पिति द्वारा नामांकित तीन ऐसे विषय विशेषज्ञ जिनमें कम से कम एक सदस्य दूरस्थ शिक्षा का अनुभव रखता हो, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार संबध न हो।
4. समति विभिन्न अभ्यार्थियों के गुणावगुण का अन्वेषण करेगी और गुणानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके प्रबंध बोर्ड को उन व्यक्तियों के नामों की, यदि कोई हो, जिन्हें वह पदों के लिये उपयुक्त समझती हो, अनुशंसा करेगी।

   परन्तु कोई भी अनुशंसा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस समिति में, जिसमें कि ऐसी अनुशंसा के बारे में विनिश्चय किया जाना है, उस पर खण्ड (2) तथा (3) के अधीन नाम निर्देशित किये गये विशेषज्ञों में कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित हों।
5. प्रबंध् बोर्ड उपखण्ड (4) के अधीन इस प्रकार अनुशंसा किये गये नामों में से व्यक्तियों की नियुक्ति गुणानुक्रम के अनुसार करेगी।
6. इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होतु हुए भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्षों में उफपर दर्शाये पदों पर नियुक्तियाँ प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित निम्नलिखित समिति की संस्तुति के आधर पर प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्षों तक के लिये की जा सकेगी।
   1. कुलपति – अध्यक्ष
   2. प्रमुख सचिव'सचिव, उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो उपसचिव या उससे उच्च स्तर का हो।

3. कुलाध्पिति द्वारा नामांकित दूरस्थ शिक्षा के एक ऐसे विशेषज्ञ जो किसी मुक्त विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के पद या किसी अन्य उच्च पद पर कार्य कर चुके हों या कार्यरत हों।

7. अधिनियम की धरा 5 (xx) में अभ्यागत'प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं आदि को आवश्यकतानुसार संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करने का प्रावधन है। अभ्यागत'प्रतिष्ठित आचार्यों की नियुक्ति के लिये शिक्षा के क्षेत्रा में अभूतपूर्व योगदान वाले या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी विध में ख्याति प्राप्त अतिविशिष्ट विद्वानों का ही चयन किया जावेगा। यह प्रथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं इंडियन स्अेटिस्टिकल इंस्ट्यूट की भाँति की लागू की जावेगी। विश्वविद्यालय समय–समय पर इस प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों के कार्य विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर इस अधिनियम की धरा–6 में दर्शायी समिति के विचारार्थ रखेगा। समिति की संस्तुति के आधर पर प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। परामर्शियों एवं अध्येताओं की नियुक्ति की भी यही प्रक्रिया होगी।

खण्ड 7 के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का मानदेय प्रतिमाह पन्द्रह हजार रूपयें से अध्कि नहीं होगा। पूर्णकालीन नियुक्ति की स्थिति में मानदेय निश्चित करने के लिये इस वित्तीय सीमा में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि जैसे सेबैटिकल एवं अन्य अवकाश, पेंशन इत्यादि से मिलने वाली राशि पर विचार नहीं किया जावेगा।

सतीश पाण्डेय
कुलसचिव